चतुर्थं प्रश्न पत्र-2013

विधायी प्रारूपण प्रालेख निर्वचन संविधि

LEGISLATIVE DRAFTING & INTERPRETATION of STATUES

नोट- किन्ही पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक खण्ड से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Answer five questions, all. At least One question must be attemepted from each section. All questions carry equal marks.

खण्ड-अ Section-A)

- विधायी प्रारूपण विज्ञान और कला दोनों है। विवेचना कीजिये।
 Legislative Drafting both Science and Art. Discuss.
- विधायी प्रारूपण के मूलभूत सिद्धान्तों और नियमों की विवेचना कीजिये।
 Describe the fundamental principles and rules of legislative drafting.
- विधेयक क्या है ? साधारण विधेयक को पारित करने का तरीका क्या है ? यदि कोई गतिरोध हो तो कैसे दूर किया जाता है ?

What is Bill? Describe the procedure of passing an ordinary bill? If there is any deadlock, how can it be resolved?

प्रारूप लेखक की योग्यताओं का वर्णन कीजिये।

Discuss the qualities of Draftman.

खण्ड-ब Section-B)

- 5. संविधि के निर्वचन से आप क्या समझते हैं ? निर्वचन का क्या उद्देश्य है ? विवेचना कीजिये। http://www.davvonline.com
 - What do you understand by interpretation of statutes? What is object of such an interpretation? Discuss.
- 'दाण्डिक संविधियों का निर्वचन कठोरता से किया जाना चाहिये।' व्याख्या कीजिये। यदि कोई अपवाद हो तो बताइये।
 - "Penal statutes are to be interpreted strictly". Explain state the exceptions, if any.
- 7. आपकी दृष्टि में विधि के नियमों तथा निर्वचन के नियमों में क्या अन्तर है? What according to you is the distinction between rules of law and rules of interpretation?
- प्रत्यायोजित विधान से आप क्या समझते हैं ? ऐसा विधान के सम्बंध में लागू होने वाले निर्वचन के नियमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।

What do you understand by delegated legislation? Explain in brief the rules of interpretation applicable to such legislation.

9. 'स्वर्णिम नियम' का उदाहरण सहित विवेचना कीजिये।

Discuss the "Golden rules" with examples.

खण्ड-स Section-C)

 हरला बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर. 1951 एस.सी. 467 के तथ्यों एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिये।

State facts and principles of law laid down in the case of Harla Vs. State of Rajasthan, AIR 1951 SC 467. http://www.davvonline.com (সংযা)

के.एम. नानावती बनाम बाम्बे राज्य, ए.आई.आर. 1961 सु.को. 112 वाद के तथ्यों एवं विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

State the facts and principles of law laid down in the case of K.M. Nanawati Vs. State of Bombay, AIR 1961 SC 112.